Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 11179 / 2001 / भरतपुर

1. पूरन पुत्र लालाराम
2. नथिया पुत्री राधाकिशन
3. मु0सनेही पुत्री राधाकिशन
4. मोहन पुत्र गिरधारी
5. निर्भय पुत्र रूरया
6. हरी पुत्र दरबी
7. कबूल पुत्र हरेत
8. अतरसिंह पुत्र हरेत
9. महेन्द्र पुत्र हरेत
10. नाहरसिंह
11. समन्दर
12. दामोदर
13. सरमन
    पुत्रान जगन्नाथ
14. हुकम
15. जगदीश
    पुत्रान हरभजन
    सभी जाति जाट निवासी खेडी देवीसिंह तहसील
    नदबई जिला भरतपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. मानसिंह पुत्र किशन जाति जाट
2. निहालसिंह पुत्र किशन जाति जाट
3. चन्दराम
4. लालचन्द
5. रामबाबू
   पुत्रान रूरया
6. सियाराम पुत्र खुशीराम जाति जाट
   सभी जाति जाट निवासी खेडी देवीसिंह तह0नदबई जिला भरतपुर

.... रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलांट
रेस्पो0 अनुपस्थित

दिनांक 13.3.2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 83/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी पक्ष की ओर से रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत एक वाद सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में पेश किया गया, जो दिनांक 15–4–2000 को खारिज किया गया। इसके विरूद्ध अपीलांट पक्ष ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहां प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2001 के द्वारा खारिज कर दी गई। इससे असंतुष्ट होकर अपीलांट पक्ष की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 6 बिस्वा के 15/16 हिस्से के वादीगण/अपीलांट्स खातेदार काबिज हैं जिसमें प्रतिवादी/रेस्पो0 जबरन काबिज होकर बोरिंग व विद्युत कनेक्शन लेकर वादीगण के हिस्से में मजाहमत कर कब्जा लेने पर उतारू हैं, इस बाबत प्रतिवादी/रेस्पो0 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है किन्तु इसके उपरान्त भी दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है।

4. अपीलांट पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

5. अपीलांट्स/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 276 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम खेडी देवीसिंह में स्थित है, जिसके वादीगण 15/16 हिस्से के खातेदार काबिज हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण सम्मिलित रूप से काबिज हैं। प्रतिवादीगण 1/16 हिस्से के हिस्सेदार हैं किन्तु वे समस्त आराजी पर काबिज होकर बोरिंग व विद्युत कनेक्शन लेकर वादीगण के हिस्से में काबिज पर होना चाहते हैं। इस वाद का प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर विरोध किया। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर 4 तनकियात कायम की एवं उन पर पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 15–4–2000 द्वारा वादीगण का वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15–4–2000 के विरूद्ध अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2001 द्वारा खारिज किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिसमें उन्होंने यह माना है कि पक्षकारान मनवट के हिसाब से अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं और उसी हिस्से पर उन्होंने बोरिंग लगा रखी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को सिंचाई करने से रोका नहीं जा सकता है।

6. अपीलांट पक्ष का यह आक्षेप है कि हमारे दावे में प्रतिवादी पक्ष को रिलीफ कैसे दे सकते हैं। इस संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण के दावे को खारिज किया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पक्ष को किसी प्रकार की रिलीफ दी गई हो, ऐसा नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय दिनांक 15–4–2000 पारित किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी

विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निष्कर्ष पारित किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत हैं, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

7. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–8–2001 एवं सहायक कलक्टर नदबई का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–4–2000 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य